न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सुनील कालानी पुत्र चन्द्रगुप्त कालानी जाति माहेश्वरी निवासी पाली		सोजत क्षैत्रीय चारण विकास समिति, सोजत सिटी जरिये प्रतिनिधिगण
	1	वासुदेव पुत्र मूलदान सान्दू कौम चारण निवासी भदौरा हाल सोजत
	2	विक्रमसिंह पुत्र मोहनसिंह बारहठ कौम चारण निवासी आंगदोष
	3	वासुदेव पुत्र चालकदान लखावत कौम चारण निवासी रेन्दडी
	4	राजेन्द्रसिंह पुत्र भारतसिंह आसिया कौम चारण निवासी बिजलियावास
	5	दशरथसिंह पुत्र राणीदान बारहठ कौम चारण निवासी रेपडावास
	6	उत्तमदान पुत्र शक्तिदान जगट कौम चारण निवासी बगडी
	7	भोजराजसिंह पुत्र शक्तिदान सान्दु कौम चारण निवासी रामासनी सांदवान
	8	बसंत कुमार पुत्र जीवनसिंह लखावत कौम चारण निवासी रेन्दडी
	9	दुर्गादान पुत्र शक्तिदान बारहठ कौम चारण निवासी खारिया सोडा
	10	चैनसिंह पुत्र हुकमदान मुहड कौम चारण निवासी सोजत सिटी
	11	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री गोरादान आशिया, श्रीमति पुष्पा मेहडू, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.10.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 2436 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोजत चक II के खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.4300 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की सह खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हक हिस्सा आता है। इसी भूमि में रामपाल पुत्र वचनाराम का भी 1/4 हिस्सा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निहित था, जिसे रामपाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18.05.2010 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 को बेचान किया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट एक अपंजीकृत संस्था है तथा अपंजीकृत संस्था के नाम दस्तावेज का पंजीयन नही किया जा सकता है। इसलिये बेचान रजिस्ट्री शून्य प्रभावी है। इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश भी आरम्भ से ही शून्य होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार कराते हुए स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है, क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 29.07.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें जैर अपील नामान्तरकरण की प्रति भी प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी थी। इस कारण अपील म्याद बाहर होने से प्रथमतः खारिज योग्य है तथा अपीलाण्ट द्वारा इस अपील को अन्दर मयाद शुमार कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, वह झूठा होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यही रहा है कि रेस्पोडेन्ट संस्था अपंजीकृत है, इस कारण संस्था द्वारा निष्पादित करवाया गया पंजीबद्ध विक्रय विलेख शून्य प्रभावी है। मात्र अपीलाण्ट के कथन से यह शून्य प्रभावी नही माना जा सकता है, यदि अपीलाण्ट को इस दस्तावेज से शिकवा होता, तो वे समक्ष न्यायालय में इस विक्रय विलेख को Discredit करवाने हेतु चाराजोही करते, जो अपीलाण्ट द्वारा नही की गई। अपीलाण्ट इस प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट का हिस्सा पृथक दर्शित है। मौके पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 10 का क्रयसुदा आराजी पर कब्जा है। तहसीलदार सोजत ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अपीलाण्ट उक्त नामान्तरकरण अपील की आड में रजिस्टर्ड विलेख को Discredit करवाने का अनुतोष चाहती है, जो सन्दर्भित धारा में देय नही है, साथ ही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नही है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2006 पेज 365 तथा आर0आर0टी0 2017 पेज 634 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सोजत चक ा का नामान्तरकरण संख्या 2436 रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 18.05.2010 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दायर किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में अंकित प्रविष्ठि अनुसार उक्त भूमि पूर्व पिस्तादेवी पत्नि मोहनलाल बोराणा कौम घांची सा0 बिलाडिया दरवाजा के बाहर, सोजत 1/4, सुनील पुत्र चन्द्रगुप्त, अनिल पुत्र चन्द्रगुप्त कालानी माहेश्वरी पाली 1/2, रामपाल चेला वचनाराम साद रा0 लाम्बा जाटान की खातेदारी भूमि थी। इस भूमि में से अपने रामपाल चेला वचनाराम द्वारा हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये बेचान कर दिया। यह बेचाननामा उप पंजीयक सोजत द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है तथा उक्त नामान्तरकरण के जरिये रामपाल के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 का नाम दर्ज किया गया है। कूननी स्थिति यह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बनती है कि क्या पंजिबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से Discredit करवाये बिना उक्त दस्तावेज के आधार पर दायर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण की प्रक्रिया एवं वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है। चूंकि जैर अपील नामान्तरकरण का आधार दस्तावेज उक्त हकतर्कनामा है, जो उप पंजीयक से पंजीबद्ध है। कानूनन जब तक पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से Discredit नही करवाया जाता, तब तक उक्त दस्तावेज प्रभाव में है तथा उक्त दस्तावेज की निरन्तरता में की गई कार्यवाही भी शुद्ध समझी जावेगी। अब जहां तक प्रश्न बेचाननामा की विधिक स्थिति को जांचने का है, तो यह भी इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही है, क्योंकि यह परीक्षण न्यायालय द्वारा समुचित साक्ष्यों एवं उनके आधार पर तनकीवार विनिश्चय से अवधारित किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में रामपाल द्वारा उप पंजीयक सोजत के समक्ष बेचान नामा निष्पादित करते हुए संयुक्त खातेदारी भूमि में से अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 के पक्ष में विक्रय की है। जैर अपील नामान्तरकरण को निर्णित करने का मुख्य आधार भी उक्त बेचाननामा ही है, जिसे आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा Discredit (निष्प्रभावी) घोषित नही किया गया है तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर नही आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त बेचाननामे को निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में किसी प्रकार की चाराजोही की जाकर इनके प्रभाव के बारे में कोई राहत प्राप्त की गई हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 29.01.2016 को होना जाहिर किया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत वाद में जैर अपील नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 29.07.2013 को ही हो चुकी है। इस कारण यह अपील स्पष्टतया म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त समस्त कारणों से हस्तगत अपील पोषणीय नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली